


मुख्य अभियन्ता का कार्यालय
केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण,
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना-2

का० आ० सं०-01/कै०रू०(स्था०)03-07/2026- 36 / पटना, दिनांक :- 10/4/2026

कार्यालय आदेश

श्री सोनु कुमार, पिता-स्व० अजय कुमार, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-21.01.2026 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक- VI-52/2025-253/स्था० दिनांक-21.01.2026 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं विभागीय पत्रांक- 03/स्था०-15(अनुकम्पा)-01/2026-1610 दिनांक-09.04.2026 एवं पत्रांक-03/स्था०-15(अनुकम्पा)-03/2024-1648 दिनांक-10.04.2026 द्वारा प्राप्त अनुमति के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर निम्न वर्गीय लिपिक (समूह-'ग') के पद पर सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान-वेतन स्तर-02 में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अस्थायी/औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	आश्रित आवेदक का नाम/संबंध	मृत सरकारी सेवक का नाम एवं पता	आश्रित आवेदक का जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	कोटि	आश्रित आवेदक का फोटो
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सोनु कुमार/पुत्र	स्व० अजय कुमार, ग्राम/मोहल्ला-बोधाचक शांति नगर, वार्ड संख्या-12 डाकघर-मितनचक, थाना-परसा बाजार थाना, प्रखंड-संपतचक, अनुमंडल-पटना सदर, जिला-पटना, बिहार। पिनकोड-804453	05.04.1997	इन्टर	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	

2- स्व० अजय कुमार, ग्राम/मोहल्ला-बोधाचक शांति नगर, वार्ड संख्या-12 डाकघर-मितनचक, थाना-परसा बाजार थाना, प्रखंड-संपतचक, अनुमंडल-पटना सदर, जिला-पटना, राज्य-बिहार के पत्नी एवं इनपर आश्रितों का भरण-पोषण का दायित्व श्री सोनु कुमार पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी निष्ठा एवं तत्परता के साथ नहीं करना गम्भीर कदाचार माना जाएगा, जिसके लिए इनके विरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। साथ ही उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर इनकी परिलिधियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को भी देने का आदेश दिया जा सकता है।

3- इनकी वरीयता इस परिक्षेत्र के मूल कोटि लिपिकीय संवर्ग के निर्गत वरीयता सूची में अंकित कर्मियों के बाद होगी। इनकी नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तब उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

4- श्री सोनु कुमार, पिता-स्व० अजय कुमार, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना निम्नलिखित कागजात के साथ मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना के कार्यालय में योगदान करेंगे :-

(i) नियुक्त पद पर योगदान के समय असैनिक शाल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मूल में समर्पित करना होगा।

(ii) भौक्षणिक योग्यता, आयु से संबंधित प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(iii) स्व० अजय कुमार, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी के आश्रितों का भरण पोषण एवं देखभाल का उत्तरदायित्व निर्वाह करने संबंधी घोषणा पत्र मूल में।

M

- (iv) यह नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक है, आवेदक द्वारा प्राप्त कराये गये अभिलेखों का सत्यापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अभिलेखों के संबंध में गलत सूचनाएँ/प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में श्री सोनु कुमार की सेवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा एवं इस संबंध में सम्यक् विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (v) नियुक्त पद पर योगदान करते समय अगर इनकी शादी नहीं हुई हो तो दहेज नहीं लेने देने तथा मद्यपान का सेवन नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र समर्पित करना होगा।
- (vi) योगदान के समय अनियोजन संबंधी शपथ-पत्र के अभिप्रमाणित प्रति समर्पित करना होगा।
- (vii) नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु आने जाने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
- (viii) नियुक्ति पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर योगदान समर्पित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि एवं उपर्युक्त औपचारिकताओं का पालन करते हुए योगदान नहीं करने पर इनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। श्री सोनु कुमार को योगदान की तिथि से वेतन एवं अन्य अनुमान्य भत्ता देय होगा।
- (ix) वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 द्वारा लागू नई अंशदायी पेंशन योजना, 2005 से आच्छादित होंगे।

ह०/-

(महमूद आलम)

मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक-01/के०रू०(स्था०)03-07/2026 _____ / पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि- श्री सोनु कुमार, पिता-स्व० अजय कुमार, ग्राम/मोहल्ला-बोधाचक शांति नगर, वार्ड संख्या-12 डाकघर-MITTANCHAK, थाना-परसा बाजार थाना, प्रखंड-संपतचक, अनुमंडल-पटना सदर, जिला-पटना, बिहार, पिनकोड- 804453 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियन्ता।

ज्ञापांक-01/के०रू०(स्था०)03-07/2026 _____ / पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियन्ता।

ज्ञापांक-01/के०रू०(स्था०)03-07/2026 _____ / पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-21.01.2026 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-VI-52/2025-253/स्था० दिनांक-21.01.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियन्ता।

ज्ञापांक-01/के०रू०(स्था०)03-07/2026 _____ / पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि- श्री सुशील कुमार मिश्र, अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-03/स्था०-15(अनुकम्पा)-01/2026-1610 दिनांक-09.04.2026 एवं पत्रांक-03/स्था०-15(अनुकम्पा)-03/2024-1648 दिनांक-10.04.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य अभियन्ता।

ज्ञापांक-01/के०रू०(स्था०)03-07/2026 516 / पटना, दिनांक :- 10/4/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता।

10/4/2026